न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 17/2024 **दायर दिनांकः 17.10.2024**

उनवान

1. रीटा आयु 50 वर्ष पुत्री एन्ड्ररू पत्नी गुडवीन जाति ईसाई निवासी पिपलोद हाल मुकाम महेश बिहार मान्यावास मानसरोवर जयपुर तह० अटरू जिला बांरा (राज.)

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री लोकेश कुमार गुर्जर
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 19.02.2025**

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थीया के शामलाती कब्जे काश्त एंव स्वामित्व की आराजी वाके ग्राम एंव माल पिपलोद तहसील अटरू में खाता संख्या 272 के खसरा नं 679 का रकबा 0.30 है0, खसरा नं 679/956 का रकबा 1.30 है0, खसरा नं 680 का रकबा 0.63 है0, कुल 3 किता का रकबा 2.23 हे0 एवं ग्राम एव माल पिपलोद तहसील अटरू में खाता संख्या 234 के खसरा नं 372/1107 का रकबा 0.08 है0, खसरा नं 396 का रकबा 0.34 है0, खसरा नं 398 का रकबा 0.04 है0, खसरा नं 400 का रकबा 0.17 है0, खसरा नं 784 का रकबा 0.02 है0 कुल 5 किता का रकबा 0.65 हे० शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थीया का नाम प्रार्थना पत्र की मद 1 में वर्णित आराजी में सहवन से रीटा पुत्री एन्ड्ररू के स्थान पर रीटास्नेहलता एवं शशिस्नेहलता पुत्री एन्ड्ररू अंकित हो गया है जो कि गलत है प्रार्थीया का सही नाम रीटा है जो कि उसके राशन कार्ड आधार कार्ड, पेनकार्ड जन आधार कार्ड आदि दस्तावेजो में भी रीटा नाम ही दर्ज है तथा ग्राम पंचायत पिपलोद द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी रीटा नाम ही दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीया राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.21 12:04:06 IST
Reason: SelfAttested

कर्मचारिगणों द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त करवा कर अपना नाम रीटास्नेहलता एवं शशीन्श्रेहलता पुत्री एन्ड्ररू के स्थान पर रीटा पुत्री एन्ड्ररू दर्ज करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारिगणों के द्वारा किये गए गफलत एवं लापरवाहीपूर्वक कार्य से प्रार्थीया का नाम रीटास्नेहलता एवं शशीन्श्रेहलता पुत्री एन्ड्ररू कर देने से प्रार्थीया को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। जमाबन्दी एंव अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम भिन्न भिन्न होने से बैंक से कृषि ऋण व अन्य कृषि योजनाओं का लाम आदि प्राप्त नहीं कर पा रहा है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी से नाम दुरस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का निर्देश दिया इस कारण यह प्रार्थाना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। आराजी ग्राम/माल पिपलोद पटवार हल्का पिपलोद तह० अटरू जिला बांरा (राज) में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किया जाता है।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी आराजी ग्राम एंव माल पिपलोद तहसील अटरू में खाता सं0 272 के खसरा नं 679 का रकबा 0.30 है0, खसरा नं 679/956 का रकबा 1.30 है0, खसरा नं 680 का रकबा 0.63 है0, कुल 3 किता का रकबा 2.23 हे0 एवं ग्राम एव माल पिपलोद तहसील अटरू में खाता संख्या 234 के खसरा नं 372/1107 का रकबा 0.08 है0, खसरा नं 396 का रकबा 0.34 है0, खसरा नं 398 का रकबा 0.04 है0, खसरा नं 400 का रकबा 0.17 है0, खसरा नं 784 का रकबा 0.02 है0 कुल 5 किता का रकबा 0.65 हे० शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। आराजी में प्रार्थीया का नाम रीटा पुत्री एन्ड्ररू दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2024/3767 दिनांक 20.12.2024 को शामिल फाईल किया गया। अभिभाषक प्रार्थीया की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थीया की बहस के बाद पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल पिपलोद सम्वत 2073–76 खाता संख्या 272, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल पिपलोद सम्वत 2073–76 खाता संख्या 234, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, जनाधार कार्ड, ग्राम पंचायत अर्डान्द प्रमाण पत्र, शपथ पत्र आई. डी. जिनील व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.21 12:04:06 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एंव माल पिपलोद तहसील अटरू में खाता संख्या 272 के खसरा नं 679 का रकबा 0.30 है0, खसरा नं 679/956 का रकबा 1.30 है0, खसरा नं 680 का रकबा 0.63 है0 कुल 3 किता का रकबा 2.23 हे0 आराजी में सहखातेदार रीटान्श्रेहलता पुत्री एन्ड्ररू के स्थान पर रीटान्श्रेहलता उर्फ रीटा पुत्री एन्ड्ररू किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा ग्राम एंव माल पिपलोद तहसील अटरू में खाता संख्या 234 के खसरा नं 372/1107 का रकबा 0.08 है0, खसरा नं 396 का रकबा 0.34 है0, खसरा नं 398 का रकबा 0.04 है0, खसरा नं 400 का रकबा 0.17 है0, खसरा नं 784 का रकबा 0.02 है0 कुल 5 किता का रकबा 0.65 हे० आराजी में सहखातेदार शशीन्श्रेहलता पुत्री एन्ड्ररू के स्थान पर रीटा पुत्री पुत्री एन्ड्ररू किये जाने पर खातेदारी अधिकारों में परिवर्तन होना प्रतीत होता है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत मूल रूप से खातेदारी अधिकारों में किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जा सकता। अतः रिकार्ड के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम एंव माल पिपलोद तहसील अटरू में खाता संख्या 272 के खसरा नं 679 का रकबा 0.30 है0, खसरा नं 679/956 का रकबा 1.30 है0, खसरा नं 680 का रकबा 0.63 है0 कुल 3 किता का रकबा 2.23 हे0 आराजी में सहखातेदार रीटान्श्रेहलता पुत्री एन्ड्ररू के स्थान पर रीटान्श्रेहलता उर्फ रीटा पुत्री एन्ड्ररू दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा अटरू को भिजवायी जावे। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 19.0[illegible] को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.03.21 12:04:06 IST
Reason: SelfAttested

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां